



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032020-218920  
CG-DL-E-25032020-218920

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 25, 2020/चैत्र 5, 1942

No. 171]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 25, 2020/CHAITRA 5, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2020

सं. 03/2020-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 216(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची I - 2.5% में, क्रम सं. 187 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ख. अनुसूची II - 6% में,-

(i) क्रम सं. 75 और इसमें दी गयी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा:-

“75अ	3605 00 10	सभी माल”;
------	------------	-----------

- (ii) क्रम सं. 202 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (iii) क्रम सं. 203 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ग. अनुसूची III – 9% में,-

- (i) क्रम सं. 73 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम सं. 379 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “सभी माल” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/34/2020-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 673 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 01/2020-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 21 फरवरी 2020, सा.का.नि. 134(अ), दिनांक 21 फरवरी 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2020

**No. 03/2020-Central Tax (Rate)**

**G.S.R. 216(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

1. In the said notification,—

(a) in Schedule I – 2.5%, serial number 187 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) in Schedule II - 6%,-

- (i) after serial number 75 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :-

“75A.	3605 00 10	All goods”;
-------	------------	-------------

- (ii) serial numbers 202 and 203 and the entries relating thereto shall be omitted;

(c) in Schedule III - 9%,-

- (i) serial number 73 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) in serial number 379, for the entry in column (3), the entry “All goods” shall be substituted;

2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of April, 2020.

[F. No. 354/34/2020-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

**Note :** The principal notification No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 01/2020- Central Tax (Rate), dated the 21st February, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 134(E), dated the 21st February, 2020.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2020

सं. 03/2020-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 217(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची I - 5% में, क्रम सं. 187 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ख. अनुसूची II - 12% में,-

- (i) क्रम सं. 75 और इसमें दी गयी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा:-

“75अ	3605 00 10	सभी माल”;
------	------------	-----------

(ii) क्रम सं. 202 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(iii) क्रम सं. 203 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ग. अनुसूची III - 18% में,-

(i) क्रम सं. 73 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम सं. 379 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “सभी माल” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/34/2020-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 01/2020-एकीकृत कर (दर), दिनांक 21 फरवरी 2020, जिसे सा.का.नि. 135(अ) दिनांक 21 फरवरी 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2020

## No. 03/2020-Integrated Tax (Rate)

**G.S.R. 217(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 666 (E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

1. In the said notification, -

(a) in Schedule I - 5%, serial number 187 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) in Schedule II - 12%,-

(i) after serial number 75 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :-

“75A.	3605 00 10	All goods”;
-------	------------	-------------

(ii) serial numbers 202 and 203 and the entries relating thereto shall be omitted;

(c) in Schedule III - 18%,-

(i) serial number 73 and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) in serial number 379, for the entry in column (3), the entry “All goods” shall be substituted;

2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of April, 2020.

[F. No. 354/34/2020-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

**Note :** The principal notification No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 01/2020-Integrated Tax(Rate), dated the 21st February, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 135(E), dated the 21st February, 2020.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2020

## सं. 03/2020-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

**सा.का.नि. 218(अ).**—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची I - 2.5% में, क्रम सं. 187 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ख. अनुसूची II - 6% में,-

- (i) क्रम सं. 75 और इसमें दी गयी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा:-

“75अ	3605 00 10	सभी माल”;
------	------------	-----------

(ii) क्रम सं. 202 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(iii) क्रम सं. 203 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ख. अनुसूची II - 6% में,-

(i) क्रम सं. 73 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम सं. 379 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “सभी माल” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/34/2020-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 01/2020-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 21 फरवरी 2020 जिसे सा.का.नि 136(अ) दिनांक 21 फरवरी 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2020

#### No. 03/2020-Union territory Tax (Rate)

**G.S.R. 218(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Union territory Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

1. In the said notification, -

(a) in Schedule I – 2.5%, serial number 187 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) in Schedule II - 6%,-

- (i) after serial number 75 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :-

“75A.	3605 00 10	All goods”;
-------	------------	-------------

(ii) serial numbers 202 and 203 and the entries relating thereto shall be omitted;

(c) in Schedule III - 9%,-

- (i) serial number 73 and the entries relating thereto shall be omitted;

- (ii) in serial number 379, for the entry in column (3), the entry “All goods” shall be substituted;

2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of April, 2020.

[F. No. 354/34/2020-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

**Note :** The principal notification No.1/2017-Union territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 01/2020-Union territory Tax(Rate), dated the 21st February, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 136(E), dated the 21st February, 2020.